पत्रांक-I प्रा0आ0-64/07....272............../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

कृष्ण मोहन,

उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सारण (छपरा)/शिवहर ।

पटना-15, दिनांक- 29/1/08

विषयः अपने जिले के निवासी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अन्य जिलों में होने के कारण अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी, सारण ने पत्रांक 414, दिनांक 06.09.07 तथा जिला पदाधिकारी, शिवहर ने पत्रांक 359, दिनांक 02.10.07 से यह बिन्दु उठाया है कि उनके जिले के निवासी की मृत्यु अन्य जिलों में नौका दुर्घटना से हुई। जिन जिलों में दुर्घटना हुई वहां से उन्हें मृतकों के परिवार को अनुग्रह अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि क्या वे अन्य जिलों में घटित घटनाओं से ऐसे मृत्यु के मामले में, जिसमें मृतक उनके जिले का निवासी है, उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान दिया जाना अपेक्षित होगा अथवा जहां घटना घटी है वहां के जिला से।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2007 को संपन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए:

भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर (2005-2010 तक के लिए; दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी), जिसे विभागीय पत्रांक 2462, दिनांक 12.08.2007 से बिहार राज्य में भी 27.06.2007 से प्रभावी सूचित किया गया है, के मद संख्या 1(क) से स्पष्ट है कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटना, कीट आक्रमण, सुनामी) से हुई मृत्यु में उक्त मानदर के अनुरूप भारतीय नागरिक के विदेश में मृत्यु एवं विदेशी नागरिक का भारत में मृत्यु की दशा में कोई अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। किन्तु किसी जिला का दूसरे जिला या दूसरे राज्य में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान नहीं दिये जाने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त उक्त संशोधित मानदर में कोई निदेश या कोई प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।

अत: आपदा राहत कोष समिति के निर्णय के आलोक में निदेशित किया जाता है कि वर्णित स्थिति में उक्त मानदर के अनुरूप जिस जिला में घटना घटित हुई है वहां के जिला पदाधिकारी से सभी वांछित प्रमाण-पत्र, अभिलेख इत्यादि प्राप्त करते हुए मृतक जिस जिले के निवासी हैं उस जिले के जिला पदाधिकारी के द्वारा नियमानुसार मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की कार्रवाई की जानी श्रेयस्कर होगी, क्योंकि जिले के निवासी होने की वजह से आश्रितों की सही पहचान इत्यादि इसी जिले में उचित रूप से संभव होगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(कृष्ण मोहन)
उप सचिव

ज्ञापांक-............................/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(कृष्ण मोहन)
उप सचिव

ज्ञापांक-......272......../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 29/1/08

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृष्ण मोहन)
उप सचिव

\\Mukul\d\amar\D.M. Letter\DM Saran & sheohar.doc 2 28.01.08